



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 13-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018 (MAGHA 4, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2018

क्रमांक 4031-र-5-2018/669.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना से पूर्व सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाना है तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना बनायी जानी है। उक्त उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा एक सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई स्थापित/चिन्हित की जानी है।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के मध्यनजर हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड, पंचकूला को राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अधिसूचित किया जाता है। यह ईकाई उक्त अधिनियम तथा इसके सम्बंधित नियमों के सम्बंधित प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने तथा सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु उत्तरदायी होगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 24th January, 2018

No. 4031-R-5-2018/669.— Whereas under the provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) a Social Impact Assessment (SIA) study is required to be carried out and Social Impact Management Plan (SIMP) is to be prepared, before making preliminary notification under section 11 of the said Act. For the above purpose a Social Impact Assessment Unit is to be established/identified by the State Government.

Keeping in view the provisions of the said Act the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), Panchkula is notified as State Social Impact Assessment Unit. This unit shall be responsible for having Social Impact Assessment (SIAs) conducted, and Social Impact Management Plan (SIMPs) prepared as per provisions of the said Act and its relevant Rules.

KESHNI ANAND ARORA,Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.